[Shrimati Sushila Rohatgi]

camp. I would be very happy if they come forward with some specific information. And I would accept the challenge. But otherwise, it is a mockery of a mother's heart.

Then, about the dispersal of refugees, the policy has been the same right from the beginning. At the beginning it was said that the refugees would not be sent back to be slain. There is a scheme for the dispersal of 8 lakh refugees outside West Bengal. Already 1.32 lakh refugees have been dispersed to Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar.

Some discontent over the appointment of officers in charge of camps has been expressed by Members. A Press Note has been issued clarifying this issue. The former Ministry decided that a Cabinet Committee should select suitable people.

Another place was that with regard to the appointment of Shri Siddaratha Shankar Ray the division of powers should be functional, and not territorial. I absolutely agree with Shri Pitamber Das ji when he raised that point. I personally am convinced that this power is functional. and not territorial, If any Member in the House today think that Bengal is a particular territory and does not consider the Bengal problem to be an All-India problem, I do not agree with him. It is of national importance. That is the point that has been made. I would not, therefore, say that it is territorial; it is purely, really and logically, too, functional.

With these words—I would not take much of the time of the hon. Member—I would like to appeal once again to the Members of all political parties that the problems of Bengal in general, and of Calcutta in particular, really call for a united effort, we must pool our energies together, we must pool our efforts together in putting and end to this rule of violence and to this politics of violence, which is absolutely alien to the culture and traditions of Bengal.

With these words, I would thank all the Members and recommend the Budget to the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We have to finish today, two subjects—the Gujarat Appropriation Bill and General Discussion on the Budget also.

SHRI RAJNARAIN : No, no.

SHRI BHUPESH GUPTA : Mr. Gujral will make a statement.

SHRI OM MEHTA : He is coming at 6.15.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He is going to come today. He will definitely make a statement today.

SHRI BHUPESH GUPTA : I know that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : What do you think, can we sit a little late today or can we take up both the Budget and the Appropriation together ?

SHRI OM METHA : Both.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We can sit a little longer.

SHRI RAJNARAIN : No, no.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : What is your suggestion, Mr. Gurupadaswamy ?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : You can take up both together. We cannot sit beyond 6 O'clock; we have got other engagements too.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : All right, we can take them up together. It is very kind of the House to accept the suggestion.

I. THE BUDGET (GUJARAT) 1971-12
(General Discussion)

II. THE GUJARAT APPROPRIATION BILL, 1971

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE/वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : Sir, I beg to move—

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and

out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat for the services of the financial year 1971-72, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता (गुजरात) : श्रीमान उपसभापति महोदय, आज गुजरात के बजट के बारे मे बोलते समय मेरे मन मे विचार आता है कि गुजरात का जो पूर्व इतिहास है वह भी सोचना चाहिए। आज मै सोचती हूं कि गुजरात को जो राज्य है उसकी आयु कितनी लम्बी है। आप जानते है कि 61 तक कोई गुजरात राज्य नही था। पहले सौराष्ट्र और कच्छ दोनों का अलग अलग राज्य था। गुजरात के इतिहास के तीन भाग है। एक 1947 से पहले का जो राज्य था वह अलग था। आप जानते है कि पहले सब राजा थे और अलग अलग राज्य थे, बम्बई राज्य मे पाच जिले सम्मिलित थे और बड़ौदा वगैरह राज्य अलग थे। सौराष्ट्र मे भी बहुत से राजा थे लगभग 202, कच्छ भी स्वतंत्र राज्य था। 1947 के बाद सौराष्ट्र का अलग राज्य हो गया, कच्छ का अलग राज्य हो गया, 1957 मे गुजरात के चन्द राज्य बम्बई स्टेट के साथ थे, उसको बम्बई स्टेट कहते थे, 1957 मे सबका एकीकरण हो गया और गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ का एक हिस्सा बन गया और हम सब बाइलिंग्वल बम्बई स्टेट मे सम्मिलित हो गए, मगर मुझे दुख है कि उसके साथ भी छोटी मोटी पोलिटिक्स चलती रही और हम 1961 में अलग हो गए। एकीकरण, विलीनीकरण और विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया इतने जोर-शोर मे चली कि गुजरात को जो नक्शा, चित्र होना चाहिए वह होने में बड़ी देरी लगी। आज जो हमारा इतिहास है, जो कार्य है, जो गुजरात राज्य का अस्तित्व है वह 61 के बाद का है। मै सोचती हूं कि चन्द सालों में गुजरात ने जो प्रगति की है वह प्रशसा और धन्यवाद को पात्र है।

आप जानते है कि गुजरात मे कोआपरेटिव मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से चलता है। स्माल स्कैल इडस्ट्रीज कारपोरेशन, इडस्ट्रियल डेवलपमेट कारपोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अच्छी तरह से चलते है और आज मुझे खुशी है कि हमारे यहा कोआपरेटिव मूवमेट मे देहातों में फायदा पहुंच चुका है। लैंड डेवलपमेट कारपोरेशन की ओर से भी उनको अच्छी सहायता मिलती है। वहा पहले एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नही था। लेकिन एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनने के बाद उसने प्रगति की है। 3961 विलिजेज को वहा एलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है। 66,000 वेल पर आज मशीन एलेक्ट्रिसिटी की सहायता से चलती है। इसलिये गुजरात का जो विकास वह 1961 के बाद हुआ है। उसके पहले विकेन्द्रीकरण और एकीकरण की जो प्रक्रिया चलती थी उसमे वह खो गया था।

आज हम बहुत बड़ी क्राइसिस में से पास हो रहे हैं। इस समय हम बजट के कारण कोई ऐसी बात नही करना चाहते है जिससे हम राज्य की परिस्थिति की बात सोच सकें। मगर इस बजट पर सोचने से दो चार विचार हमारे सामने आते हे। पहला यह है कि जो राज्य का काम पहले अच्छी तरह से चलता था वह अब नही हो पा रहा है। लेकिन जो हुआ वह हुआ और इस समय बजट पास करने का जरूरत हे। ट्राइबल वैलफेयर, हरिजन वैलफेयर का जहां तक सवाल है वह अच्छी तरह से चलता है और उनकी तरक्की भी हुई है। मगर एक बात यहा पर भुला दी जाती है कि उनकी जो आर्थिक परिस्थिति है अभी सोचने जैसी है। अभी तक उनका आर्थिक उत्थान ऐसा नही हुआ है कि आप यह कह सकें कि उनकी परिस्थिति में कुछ सुधार हुआ है। सब जानते है कि हर दूसरे साल हमारे यहा दुष्काल आता है। वह दुष्काल जो आदिवासी वगैरह है उनके लिये बहुत कठिन परिस्थिति पैदा करता है और वहा के लोगों को बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करना पड़ता है। हमारे पास एक भी ऐसी योजना नहीं है जिस से जब दुष्काल आता है और उनको आर्थिक परिस्थिति तग होती है तो उनको हम किसी तरह से काम दे सकें ताकि उनका इधर-उधर आना-जाना कम हो जाय। वह एक बड़ी समस्या हमारे लिये है।

[श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता]

मै जानती हू कि इस बजट मे ग्रांट 574 और 575 मे छोटे उद्योग, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन की दो स्कीमे रखी गई है। लुकिंग टू द प्राब्लम, इस समस्या को देख कर, यह जो परिस्थिति है उसको देख कर 574 मे 60,000 रखे गये है और 575 मे 9,26,000 रखे गये है । यह बिल्कुल कम प्राविजन है और इतने प्राविजन मे सारे गुजरात मे उत्तर से दक्षिण तक आदिवासी और हरिजनो का जो प्रश्न है, जो प्राब्लम है वह साल्व होने वाली नही है ।

दूसरे हमे एक बात पर और ताज्जुब होता है । तीन चार महीने से जमीन का जोर शोर से बटवारा हो रहा है आदिवासियो मे और हरिजनो मे । लेकिन किसी को एक एकड जमीन देते है और किसी को दो एकड जमीन देते है । वह इकोनामिक होल्डिग नही है । इकोनामिक होल्डिग तब होगी जब कम से कम 5 एकड जमीन एक व्यक्ति को दी जाय । जो जमीन हम उनको देते है अगर वह इकोनामिक होल्डिग नही है तो उनका कोई आर्थिक प्रश्न हल होने वाला नही है । यह बात भी है कि जमीन बढने वाली नही है । जितनी जमीन है उतनी ही रहेगी । जमीन आगे नही जाती है । जितनी होती है उतनी होती है । जमीन देने के प्रश्न पर बहस चली है । फ्रैगमेंटेशन आफ लैंड ख्याल मे रहना चाहिये । इससे यह प्रश्न और खराब हो रहा है । अगर एक एकड या दो एकड जमीन का बटवारा होता है तो न उसमे खेती होगी, न घास होगी न चारा होगा और न उसमे कुछ होगा । आदिवासी और हरिजन केवल यह देखेगे कि हम को जमीन दे दी गई है, लेकिन उनको मिलने वाला कुछ नही है। इस लिये मेरी प्रार्थना यह है कि जमीन के बारे मे सोचना चाहिये और कोई नई पालिसी बनाना चाहिये। इस तरह से अगर हम भूमिहीनो को एक एकड़ या दो जमीन दे भी तो उससे उनको हम संतोष नही दे सकते है । भूमिहीनो को भूमि मिलनी चाहिये वह सिद्धात ठीक है । लेकिन अगर वह हम ठीक तरह से नही कर सकते है तो उनको उद्योग सिखाने का जो प्रोवीजन रखा है उसको बढाना चाहिये जिससे हम उनकी आर्थिक समस्या हल कर सके । इसके लिए हमे कोई प्रबन्ध करना चाहिए यह मै सोचती हू । तीसरी बात यह है कि गुजरात के कई भागो मे, उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, और कच्छ मे पशु पालन का कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा है । आप जानते है कि वहा की नस्ल गीर और काकरेजी आदि बहुत प्रसिद्ध है । सारी दुनिया मे उनके लिए गुजरात प्रसिद्ध है, किन्तु इन आदिवासियो को काम देने के लिए, हरिजनो को काम देने के लिए हम कभी नही सोचते है कि हम वहा के पशु पालन उद्योग को भी आगे बढाये । मुझे मालूम है एक भैस और दो तीन गायो से वहा एक कुटम्ब का निर्वाह हो सकता है, लेकिन वह पशु पालन इस मे शामिल नही है । मैने पहले भी एक दो बार कहा था कि पशु पालन की व्यवस्था के लिए प्लानिंग कमीशन ने कुछ नही किया और आज हम को अच्छा दूध चाहिए, हम को अच्छा मक्खन चाहिए, अच्छा घी चाहिए लेकिन हम ने उसके लिए कभी नही सोचा कि हम को क्या करना चाहिए और इसके लिए हमारे पास कोई योजना नही है । जब भी हम सोचते है तो दूध के लिए सोचते है, डेरी के लिए सोचते है, लेकिन जो कैटिल ब्रीडर्स है उनका उत्थान कैसे हो इसके लिए हमने कभी नही सोचा है । पशु पालन को जब तक हम एक व्यवसाय के तौर पर नही लेगे तब तक पशु पालन का प्रश्न कभी हल नही होगा । हमारे यहा कैटिल ब्रीडिंग अच्छी से अच्छी होती है, अच्छी गाय भैस होती है, शीप, गोट, कैमिल्स और डकीज होते है मगर उनके लिए कोई प्लानिंग कमीशन नही है, कभी उसके लिये प्लानिंग ने नही सोचा और न स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा और न सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा । इसलिए खेती के बाद जो पहला व्यवसाय है प्रदेश मे पशु पालन का, वह छिन्न-भिन्न हो गया है और आज हमने देखा है कि बहुत से हमारे पशु बिना पानी और चारे के मर जाते है और

उनकी नस्ल भी इतनी डिटेरियोरेट हो गयी है कि हम उसके लिए क्या करें यह एक कठिन समस्या है। आप जानते हैं कि इन पशुओं के निभाव के लिए पानी और घास की आवश्यकता होती है। उनकी कमी के कारण वे ब्रीडर्स हो गये हैं और यह नोमैडिक गुजरात के लिए एक बड़ी समस्या हैं। वह अपने पशुओं को लेकर जहां पानी और चारा मिलता है वहां घूमते रहते हैं और उनके लिए वह जीवन बड़ा मुश्किल होता है, किन्तु हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम उन के लिए कुछ कर सकें। उन को किस तरह से हम उठायें इस के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है। उपसभापति महोदय, जब सौराष्ट्र एक था तब हम ने एक योजना बनायी थी टु सेटिल नोमैडिक ब्रीडर्स आन लैंड, और आप को जान कर खुशी होगी कि करीब 15,000 फैमिलीज को हम ने थोड़ी बहुत खती दे कर सेटिल किया था। मगर हम ने उनको 7 और 3 एकड़ जमीन दे कर रिहैबिलिटेट किया था और आज मुझे खुशी है कि जितने वहां रिहैबिलिटेट हो गये थे वह सब लोग खुशी हैं और अपने पशुओं का पालन अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम कोई योजना बनाते हैं तो डेरी पालन के लिए तो हमारी योजना है लेकिन उस के बीच हम ने कभी पशु पालन को नहीं रखा हमने हमेशा यह सोचा कि डेरी का दूध कैसे मिलना चाहिए, वहीं मिलना चाहिये और वह कौन करेगा और कैसे करेगा हम को समझना चाहिए कि जो हमारा पशु धन है उस के लिए हम कुछ करना चाहिए, अपने कैटिल के ब्रीडर्स के लिए कुछ करना चाहिए और उनके लिए कोई अच्छी योजना बनानी चाहिए,अभी तक वह नहीं बनी है और प्लानिंग कमीशन भी इस के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने इस के लिए अभी तक नहीं सोचा।

हमारा एक सब से बड़ा प्रश्न है बार्डर एरिया का। आप जानते हैं कि हमारे गुजरात राज्य के तीन ओर समुद्र है। वहां करीब दो हजार मील का समुद्र का किनारा है और एक तिहाई समुद्र का किनारा गुजरात राज्य में है। मुझे आश्चर्य है कि इतना बड़ा किनारा होने पर भी आज तक हमने कभी नहीं सोचा है कि हम वहां के डिफेंस के लिए क्या करेंगे। उत्तर में कच्छ है और कच्छ के ऊपर रन का प्रदेश है और बनासकंठा का बार्डर एरिया है और सब से कठिन प्रश्न समुद्र का है। जब 1965 ई०में पाकिस्तान ने हमला किया था तो वहां के जहाज जब तक द्वारका नहीं आ गये तब तक हममें से किसी को मालूम नहीं हुआ था। वह तो भगवान की दया से द्वारका में दो चार तोप का गोला छोड़ कर चले गये लेकिन हमारे पास कुछ नही था जिससे कि हम उनको रोक सकते। मैं तीसरी दफा बोलती हूं कि इतना बड़ा किनारा होने के कारण शिप-यार्ड और एक नैवल-बेस वहां होना चाहिए जिससे कि समुद्र के किनारे के डिफेंस के लिए हम कुछ न कुछ सोच सकें। आप जानते हैं कि पाकिस्तान से सब से नजदीक हमारा किनारा है। हम सोचते हैं कि इतनी विस्फोटक स्थिति से हम निकल रहे हैं और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिफेंस मिनिस्ट्री को जरूर कुछ सोचना चाहिये कि कैसे वहां का ठीक से डिफेंस होगा। हमारी परिस्थिति बहुत नाजुक है और मै यह प्रार्थना करती हूं कि इसके लिए सोचना चाहिए। यहां डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर चह्वाण ने मुझे से कहा था कि हम हेलिकाप्टर के द्वारा आप का जो कोस्टल एरिया है उसकी चौकीदारी करायेंगे मगर अभी तक हेलिकाप्टर्स नहीं आये और उसको तीन साल बीत गये। तीन साल से हम देखते हैं कि ऐसा ही चलता हैं। और आप सब पेपर्स में पढ़ते होंगे कि हर तीसरे दिन स्मगलिंग का समाचार आता है कि इतनी घड़ियां पकड़ ली गई, इतना यार्न आ गया, इतना सोना आ गया। सब चीजें आती है। और कच्छ और सौराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वहां क्रिक्स है इसलिये यह 'इट इज ए हैवेन फार स्मगलर्स" हैं और उसको देखने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है। लोग पूछते है कि गवर्नमेंट क्या करती है।

[श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता]

हमारे इतने लोग दुबाई जाते है, इतना स्मगलिंग होता है, इतना सोना आता है, इतनी चोजें आती है तो हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया। आज भो "टाइम्स अ फ इंडिया" मैंने पढ़ा तो देखा कि 25 लाख का सोना पकड़ा गया है। तो वह कहां से आता है। उसको पकड़ने के बाद हमको बोलते हैं कि पकड़ लिया लेकिन यह नहीं देखते कि वह कैसे आया। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि पहले हमें जो कुछ करना है वह कोस्टल एरिया के लिये करना है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी है।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. D. MANI) in the Chair]

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे यहां अच्छे पोर्ट हैं और समुद्र भो अच्छा है तो फिर वहां नेवेल बेस का रखना बहुत जरूरी है। आप सब जानते है कि यह कोस्टल एरिया पाकिस्तान के सब से नजदीक है फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके डिफेंस के बारे में नहीं सोचा है। यह हमारे लिये बड़ी चिन्ता का विषय है।

आप जानते है कि हमारे यहां सारे किनारे पर एक मेजर पोर्ट कांडला का है और इंटर-मीडिएट पोर्टस 10 हैं और 36 माइनर पोर्टस हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे छोटे बड़े समुद्र के किनारे है जहां से हमारे जहाज आते है और जाते हैं, इनके नाम भी बहुत हैं लेकिन आज दुख की बात यह है कि इतना बड़ा वहां यह प्रश्न है लेकिन उसकी पूरी उपेक्षा हो रही है। इसलिये यह सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है कि वहां नैवेल-बेस शुरू करना चाहिये और इसके साथ-साथ यह देखना चाहिए कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो सेलर्स हैं और सोलजर्स हैं उनको पूरा मौका मिले। मुझे ताज्जुब होता है कि इतना बड़ा किनारा होने के कारण जो हमारे यहां इतनी बड़ी जनसंख्या सेलर्स की है उनको बहुत कम जगह मिलती है, उनका प्रतिशत नेवी में बहुत कम है। हमने दो चार डिफेंस की पुस्तकें पढ़ीं तो उसमें लिखा है कि कम से कम सैनिक और नाविक हमारे यहां से आते हैं क्योंकि हम सोचते नहीं है कि उनके लिए क्या करना है। बजट में अम्बर-चर्खा-तालीम के लिए 25 लाख रुपया रखा है। अम्बर चर्खा तो हमारे ऐसे लोग चलायेंगे लेकिन जो नौजवान है जिनमे शक्ति है और जो कि कुछ कर सकते है ऐसे नौजवनों को, ऐसे नाविकों को तो कुछ उत्तेजना देनी चाहिये, उनके लिये कोई सैनिक शिक्षालय होना चाहिये। उनको प्रशिक्षण देना चाहिये। सैनिक शिक्षालयों में जाने के लिये गरीबों को बड़ी मुश्किल है वह कैसे जा सकते है क्योंकि इतने बड़े बड़े नियम हैं, इतने कठिन नियमों का पालन है कि कोई जा नहीं सकता है। इसलिये मैं सोचती हूं कि यहां यह हमारी पहली जिम्मेदारी है कि ऐसे जो ट्रैडिशनल सेलर्स है, जिनका समुद्र का जोवन है, जो समुद्र से कभी डरे नहीं है, ऐसे जो हमारे नौजवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ऐसे जो हमारे नाविक हैं उनके लिये कुछ अच्छी तरह से प्रबन्ध करना चाहिये। और वहां से उनके लड़कों को उठा-उठा कर तालीम देनी चाहिए। आज हम चिल्लाते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। आज हमने अपने लड़कों के लिए, अपने जवानों के लिए कोई दिशा नहीं खोली है कि वहां जा सके। यह हमारी मुश्किल है।

दूसरी बात यह है कि सेना में भी हमारे यहां का नेगलिजिबल है। जैसा मैंने कहा, मिलिटेन्ट रेसेज के भी नवयुवक हमारे यहां बहुत है, जो चाहते हैं कि कुछ करें मगर उनके लिए जब भर्ती का समय आता है तब कह देते हैं तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है, तुम्हारा वजन ठीक नहीं है। आज तक हमने नहीं सोचा है कि जो मिलिटेन्ट रेस के नवयुवक है जो लश्कर में जाना चाहते है उनके लिए हम क्या प्रबन्ध करें ताकि हम अच्छे से अच्छे शोल्जर पैदा करें सकें।

इसके बाद, संरक्षण के साथ-साथ मैं यह

भी ध्यान दिलाना चाहती हू कि हमारे कोस्टल हाइवे का काम फौरन से चलना चाहिए। 1088 मील का हमारा कोस्टल हाइवे है, अभी जो पैचेज है उनका काम नही किया है और बोलते है अभी होगा और हो जाएगा तो कही दूसरी तरफ टूट जाएगा। हम जानते है कि रास्ता बनाने का काम कितना कठिन होता है और कैसे काम करते है। तो अभी तक उमरगाव से ओखा और कलो तक का रास्ता ठीक नही हुआ और कोस्टल हाइवे का काम इतने आराम से होना है कि मुझे दुख: होता है कि हमारे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की जो योजना है उसमे उसको कोस्टल हाइवे का मूल्य समझ मे नही आता है। आप जानते हे अगर क्राइमिज हो जाए तो हमारे वाहन वगैरह वहा आ जा नही सकेगे क्योंकि मै सोचती हू कि किनारे इतने टूटे-फूटे है कि आना जाना बडा कठिन होगा।

इसके अलावा आप जानते है, हमारा इतना बडा बदरगाह (पोर्ट) होने के कारण फिफ्टी परसेन्ट आफ गुडस हमारे पोर्टस पर आता है और सारे भारत मे जाता है, और जिन पोर्टस के नजदीक रेलवे स्टेशन नही है। उनको सामान ले जाने मे बडी दिक्कत होती है इसलिये मै चाहूगी कि गवर्नमेन्ट आफ इडिया अब सोचे कि क्या करना चाहिए और यह रास्ता बन जाएगा तो हमारे गुड्स ट्राफिक को जो दिक्कत होती है वह हम हल कर सकेगे और हमारा सारा काम अच्छी तरह से चलने लगेगा।

तीसरी बात यह है कि पैसेन्जर ट्राफिक के लिए भी बडी दिक्कत होती है। आप जानते है कि आज गुजरात के कोस्टल हाइवे के अभाव से किसी को जब कोस्टल एरिया मे जाना हो तो बड़ी मुशकिल होती है, इसलिए भी उसकी ओर ध्यान चाहिए। आप जानते है कि काडला का पोर्ट मेजर पोर्ट है। पोरबदर आल वेदर पोर्ट है और सारे रास्ते ट्राफिक है, वहा से 50 परसेन्ट फारेन एक्सचेन्ज अर्न होता है, और आप को मालूम होगा कि 30 करोड़ रुपये का हमारा फारेम एक्सचेन्ज है, जो कि हमारे बदरगाहो मे आपको फारेन एक्सचेन्ज के रूप मे मिलता हे। इसलिसे आपको समझना चाहिए आज के समय मे कोस्टल हाइवे हमारे लिए कितना जरूरी है। कोस्टल हाइवे के पूरा होने से पोर्टस का ट्राफिक कवर अब होगा। यह सुविधा होने से बडौदा की पेट्रो केमिकल इन्डस्ट्री, अहमदाबाद की टेक्सटाइल इन्डस्ट्री, द्वारका पोरबदर की सीमेन्ट और वेराबल को फिश, और इसके साथ साथ अग्रिकल्चरल प्रोडक्टस और सौल्ट वगैरह लाने मे मदद मिलेगी। इसके साथ ही बहुत सी दूसरी दिक्कतो को हम हल कर सकेगे।

इसके अलावा पोरबदर, द्वारका, जूनागढ़ और सोमनाव वगैरह जो बडे-बडे टुअरिस्ट सेन्टर्स है वहा जाने की भी प्रवासियो को सुविधा हो जाएगी। उनको अभी घूम फिर कर आना पडता है। कोस्टल हाइवे हो जाने से उनको सुविधा हो जायेगी। हमारे यहा सबसे अधिक आवश्यकता मार्ग-व्यवहार की है। आपको सोचना चाहिए कि कोस्टल हाइवे अच्छी तरह से बन जाए तो स्मगलिग भी कम होगा क्योकि स्मगलर्स को एक हैवन है, वहा कोई आता नही जाता नही, कोई जा भी नही सकता इसलिए पुलिस भी उनका पीछा नही कर सकती, क्योकि आना जाना बडा कठिन है। तो मै यह सोचती हू कि यह जो हाईवे का सवाल है यह सेन्ट्रल गवर्नमेट की जिम्मेदारी है और उसको ही यह कार्य करना चाहिये। मै इस सबध मे जितनी भी बाते बोलती हू वह उस क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से बोलती है और इसी लक्ष्य को लेकर सरकार को वहा पर कार्य करना चाहिये क्योकि इस समय जो हमारा काम चल रहा है उसमे कमी है और उसके बारे मे कहने की जरूरत नही है। इसलिये मै यह निवेदन करना चाहती हू कि पहिली प्रायरिटी कोस्टल हाईवे के लिए दी जानी चाहिये और मेरी आशा है कि जो मैने बाते कही है वे ठीक-ठीक तरह से सुनी जा जा सकेगी।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहा पर जो अहमदाबाद का एरोड्रोम है उसका कभी भी विकास

[श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता]
नही हुआ है। अहमदाबाद एरोड्रोम के बारे मे मै बार-बार कहती हू और उसके बारे मे मुझे अच्छा भला जवाब मिलता है लेकिन उसके ऊपर कोई ऐक्शन नही लिया जाता है। कैशोड का जो एरोड्रोम है वह पाच महीने तक बन्द रहता है। थोडी वर्षा हो जाती है तो वह बन्द कर दिया जाता है और डैकोटा प्लेन के सिवाय और कोई जहाज वहा पर नही जा सकता है। यह केवल अहमदाबाद या गुजरात का प्रश्न नही है बल्कि यह तो हमारी सुरक्षा का प्रश्न है। वहा पर रनवे को मरम्मत नही की जाती है और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पडता है कि जूनागढ के नवाब के समय से जो हालत वहाँ पर एरोड्रोम की थी वही आज तक चली आती है। यह एक चिन्ता का विषय है कि वहा पर एरोड्रोम की देखभाल के लिए कोई कार्यवाही नही की जाती है। इसलिए मै यह निवेदन करना चाहती हू कि कैशोड का जो एरोड्रोम है उसकी देखभाल और सुधार के लिए प्रायरिटी दी जानी चाहिये। चौथे प्लान मे कुछ भी नही दी गई है और कैशोड एरोड्रम के बारे मे इस प्लान मे कुछ भी नही लिखा गया है, इसलिए मै यह निवेदन करना चाहती हू कि चौथे प्लान मे इसके विस्तार का काम किया जाना चाहिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. D. MANI) · You have taken 30 minutes I would request you to conclude soon.

श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता · अब मै वहा पर कुछ बात रेलवे के बारे मे कहना चाहती हू। वहा पर आधी रेल तो ब्राड गेज की है और आधी मीटर गेज की है। कान्डला तक तो ब्राड गेज लाइन बन गई है। तारापोर भावनगर रेल शुरू नही हुई है। ओखा का विचार चलता है परन्तु राजकोट वीरावल की लाइन के लिए कोई सर्वे का काम नही लिया गया है और इसकी वजह से सौराष्ट्र का सारा चित्र स्पष्ट नही होता है। सौराष्ट्र की व्यापार और ट्रान्सपोर्ट की परिस्थिति यह है कि सारा राष्ट्र का आधा व्यापार यहा पर कवर होता है परन्तु पोलिटिकल रीजन्स के कारण यहा पर ब्राडगेज लाइन का न बनाया जाना अच्छा मालूम नही देता है। राजकोट से विरावल तक भी लाइन का सर्वे नही हुआ है। इस तरह की वहा पर कई योजनाए है जिन्हे सरकार को देखना चाहिये क्योकि यह एक बार्डर एरिया है और इस दृष्टि से वहा पर कार्य किया जाना चाहिये। यहा पर यह भी सोचने की जरूरत है कि काडला तक पहुची हुई लाइन भुज तक ले जाना चाहिये। यह प्रश्न ट्रैफिक जस्टीफिकेशन का नही है बल्कि भारत के डिफेन्स का है। मैं यह निवेदन करना चाहती हू काडला भुज के ट्रैफिक पर यह मामला नही छोडा जाना चाहिये बल्कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह कार्य किया जाना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहती हू कि जिस तरह की परिस्थिति-हमने छारबेट मे सामना की उसी तरह की परिस्थिति फिर आ सकती है और डिफेन्स के लिहाज से हमे इस एरिया को बहुत मजबूत बनाना होगा।

तीसरी बात यह है कि जमीन के बारे मे आजकल हम सोचते है कि क्या करें। इस बजट मे अग्रीकल्चर के बारे मे लिखा है मगर जो कोस्ट का समुन्दर का पानी जमीन में घुस जाता है उसके बारे मे कुछ नही कहा गया है और न ही प्रोविजन किया गया है। वहा पर लिफ्ट इरिगेशन से काम चलता है। नीचे का पानी तो ऊपर आता है लेकिन जब समुन्दर का पानी आ जाता है तो जो उनकी दूसरी फसल होती है वह खराब हो जाती है और उनकी आमदनी कम हो जाती है। इसलिये मै यह निवेदन करना चाहती हू कि सायल प्रिजर्वेशन के सम्बन्ध मे भी सोचना चाहिये।

मुझे दुख के साथ कहना पडता है कि नर्मदा नदी के सम्बन्ध मे सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल मे किसी प्रकार की हलचल नही है। गंगा का पानी कावेरी मे जा सकता है, लेकिन नर्मदा के पानी को समुन्दर मे जाने से रोकने

के लिए कोई उपाय नही किये गये है और उसका सब पानी इस तरह से बरबाद चला जाता है जबकि वहा पर हर तीसरे साल दुष्काल पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस पानी को समुन्दर मे बरबाद होने से बचाया जाय और उसके लिए जल्द से जल्द कोई योजना बनाई जानी चाहिये। मुझे दु:ख है कि हमारा पानी का प्रश्न बड़ा विकट है। पानी की कमी को वजह से बहुत से जानवर मर जाते है, हमारी खेती सूख जाती है। यह बड़ी कठिनाई है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे यहां अच्छे कृषिकार है लेकिन पानी की कमी के कारण वे कुछ नही कर पाते है। मैने फोर्थ प्लान देखा है, उसमे ऐसी कोई योजना नहीं रखी गई है जिससे सारे गुजरात राज्य को पानी के लिए कुछ न कुछ सुविधा मिले। बिना योजना के हम कुछ नही कर सकते हैं, इसलिये मुझे इसका दु:ख है कि हम कुछ नही कर सके हैं।

हमको करीब 10 हजार ट्रैक्टर जर्मनी के मिल गए। आप जानते है इसकी कितनी बड़ी समस्या है। अहमदाबाद मे मेरे घर के सामने बहुत से ट्रैक्टर पड़े है, इतने ट्रैक्टर पड़े है। उनके लिए कोई हल नही हुआ है।

सबसे बड़ी बात फेमिली प्लानिंग की है। नान-आफीशियल डे के दिन हमारे भाई ने द्विविवाह निषेध विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि एक जमाना था कि हम अलग-अलग सोचते थे, अब सत्य कहने की हिम्मत नही है, बोल नहीं सकते है, दबे हुए हैं, इसलिए हम नही बोलते है, फेमिली प्लानिंग शुड बी कम्पलसरी फार आल कास्ट्स एन्ड क्रीड्स, यह एक के लिए नही होना चाहिए, सब के लिए होना चाहिए। एक बार तो आप फेमिली प्लानिंग का प्रचार करते है, दूसरी बाजू अभी स्टेरिला-इजेशन आफ दि अनफिट के लिए भी कुछ नहीं सोचा है। हम गरीबों को बढ़ाते है, हम पैसा वालों को बढ़ाते है, एक स्कीम भी नहीं चला पाते। फेमिली प्लानिंग एक स्तर को स्पर्श करती है दूसरे स्तर को स्पर्श नहीं करती है। इस तरह से भारत भर में फेमिली प्लानिंग का कोई अर्थ नही होगा। हमें यह निश्चय करना चाहिए कि इट मस्ट बी कम्पलसरी फार आल। मै आशा करती हू कि आप इसके बारे मे कुछ सोचेंगे।

सबसे बड़ी बात एजूकेशन की है: गुजरात में गर्ल्स एजूकेशन, सैकिन्डरी एजूकेशन फ्री है, इसलिए बहुत सी गरीब घर की लड़कियां उसका फायदा उठाती हैं। लड़कों के लिए फ्री करना था, लेकिन वह नहीं हो सका। फेमिली और चाइल्ड वेलफेयर के लिए सेन्ट्रल सोशल वैलफेयर बोर्ड की ओर से परियोजना चलती है। उसमें एक ताल्लुक सैलेक्ट करके उसके एक गांव में बाल मन्दिर और बालवाड़ी चलती है लेकिन जो बाजू का प्रदेश है उसमें कुछ नही चलता है। यह विषम परिस्थिति है और इसलिए मैं चाहूंगी कि सारी गुजरात स्टेट मे, हर देहात में बाल मन्दिर होना चाहिए। यह सोचने की जरूरत है। प्रदेश के लिए 6 लाख 60 हजार का प्रावधान है। लुकिंग ऐट दि विलेज यह काफी नही होगा। तो हमें बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। देहातों में बाल मन्दिर की बहुत जरूरत है ताकि वर्किंग मदर्स जब काम पर जायें तो उन्हे सुविधा हो।

एक बात मै और कहना चाहती हूं कि डिफेंस के बारे मे हमें कुछ सोचना चाहिए और हमारा जो कोस्टल एरिया है उसके बारे में जो भी हो सके प्रबन्ध करना चाहिए।

SHRI U. N. MAHIDA (Gujarat) : Mr. Vice-Chairman, after an exceptionally long recital of demands, I do not know whether much substantial can be added with which Government can comply. It is a very simple task for one to go on making demands, but the task of preparation of budget is a difficult task. I shall, therefore, restrict-myself to a few items on which special attention may be necessary.

While we look forward for development, more works and more capital projects, it is

[Shri U. N. Mahida]

equally necessary that we do take advantage of projects that we have already constructed. Much more attention than what is being given should be given to the development of projects that we have already constructed. I will quote one example. With great fanfare and gusto, they opened the Kakarapara canal as early as 1953-54, saying that five lakh acres of land will be irrigated by that canal. Sir, now seventeen years have passed. Even today the area irrigated is much less. to a very large extent, because it is without filled channels. Must we go on constructing large project, sinking crores of rupees, when agriculturists are denied the advantage of water that you have brought to their villages, but not to their fields ? This is not a solitary example. It is happening in many projects. I, therefore, draw the attention of the government and specially the engineers and appeal to them that they must pay special attention to this aspect. This will yield better results. Not that I will be slow in making demands for larger and bigger projects. But that should not amount to neglect of the assets already created.

The next question would be a supplemental one and that is regarding the village water supply. As early as 1947 or 1948 the government of Bombay under the premiership of the late Kher started a scheme at the instance of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi so that each village should have at least the minimum facility of drinking water. For two or three years the scheme was worked with enthusiasm. In those days money was scarce and still about Rs. 80 lakhs were spent and then the thing was forgotten. Today I am glad that the Gujarat government has taken up village water supply with great interest. It is a very simple matter to bring water through long pipelines, build a reservoir and take water to the villages that are prosperous. Not that these areas should be denied water, but the interior, hilly areas where Advasis live and in areas where Harijans live, should also get water. In these areas, where it is difficult to find water by the efforts of the people there, the Government must pay greater attention. These areas are not receiving much attention now. This task should be undertaken with missionary zeal and not for purposes of publicity and garlands. When you dig wells even today after so many years of independence Harijans are being deprived of water facilities by the village people. The law is there and it should be enforced. We must not encourage too much segregation by giving too many wells, not that people should be denied this facility. But do not create segregation. Harijans must be permitted to use the same wells used by other people in the villages. When Harijan population is large in a particular village, they can be given separate wells. Government must see that the law is enforced in such a way that superior classes of people, the caste Hindus do not obstruct Harijans from drawing water from the common wells. I am not saying this for proposes of propaganda. I live in villages and stay in villages. This is

5 P. M.

being done even today. They have not got the facilities which the law has given them.

Then, Sir, I come to the same question of water supply. While we are trying to bring water from places miles away through pipelines and from reservoirs, in the same areas we are not seeing how trouble arises or has increased. In the whole coastal area, right from the Surat District up to Jamnagar and Kutch areas, the phenomenon of invasion of salinity is taking place. Wherever possible, sweet water is being extracted and exploitation of the underground water is going on without much regulation. The result is that the villages like the village Sonawadi meaning the village producing gold and many other villages in the Surat District and also in Bhavanagar, Jamnagar, Junagarh and other areas are being ruined because of the invasion of salinity. There is a solution to this problem and the solution is not as difficult as is made out. Waters that are running waste can be utilized for, what they call, re-charging. In the coastal and other areas, waters are being abstracted and measures must now be taken to see that we are not starved of water in the next twenty years. Re-charging of aquifers that is, injecting water artificially to underground strata is a thing which must be commenced. Also the idea of "spreading basin" is not a new idea. We have not devoted enough attention to this subject. So, merely drawing water and forgetting every thing is not enough. Re-charging of water by "spreading basins" is very necessary. While you do construct check-bunds, mere construction of check-bunds is not enough. It is the same question that we are dealing

with, whether it is the underground water or surplus water, or spent water. The house will be discussing this at the kind of the Prevention of Polution Bill and I, therefore, will not take any more time on this subject.

Then, Sir, there is the question which I would refer rather reluctantly, because it has been discussed a little earlier. And that is the question of investment, the large investment, on the capital project of Gujarat. I would not have reverted to the subject. But I find, on scanning the Press which I have done quite seriously, that even the authoritative statements of Ministers even the written statements and written requests are, to put it mildly are formed into political propaganda. The only statement that is important, as far as I am concerned is that—and I repeat it—that the method and the manner in which the work or the project is proceeding is a colossal waste. Another thing is that it has been "a plunge in the dark." The one thing that I have been advocating is that there should be a full-fledged investigation into it, into what you are doing and what you have landed yourself in. It is only a question of focussing a powerful searchlight on the steps that have plunged the State of Gujarat into this financial morass. And it is the duty of the Government to investigate into this matter and that is all that I have been pleading for. I am grateful to the present Government for having done one thing and that is, when the last Government went out, they left us with a *fait accompli* which may not unfortunately for them remain a *fait accompli* and that is this. The total Fourth Five Year Plan provision for the Capital project has been Rs. 18.25 crores. With the expenditure already incurred during the first two years and the proposed expenditure for the current year of the order of Rs. 3.03 crores, the balance from Plan provision for the future years would be only Rs. 3.25 crores. And over 75% of the work in terms of physical requirements is yet to be done for the whole scheme. Balance from the Plan provision is only Rs. 3.25 crores for the next two years but the funds are not there. The balance from the Gujarat Capital Construction Fund has been 'nil' even before the commencement of last year 1970-71. Here is a Budget publication—Budget Publication No. 10 of this year—I am again speaking only from the budget point of view. In spite of the "Gujarat Capital Construction Fund" being completely exhausted, and there being "minus" balances, a provision of 5 crores had been made. I am glad that the present Government's budget has substantially cut it down and kept the provision only to 'Completion of Works in progress'—what sometimes engineers call 'bringing the works to a safe stage'. I am grateful to the Government that no new works are to be started. Is it not the stage at which re-thinking is possible? After all what is the greatest need of a Government at a new seat? A Legislature; a Secretariat. Nothing of construction of that kind has been done. Great bungalows have been constructed. Estimates have been made up to Rs. 2.25 lakhs. You have spent Rs. 6 lakhs and that too more on a single bungalow. And you preach that you are having a socialist pattern. Then again, you push through the project with the promise that cheap methods of construction will be evolved. You have spent public money on experiments, saying that cheap housing schemes will be evolved or that the rate of construction will be brought down, that efforts have been made to reduce the cost and to add to the living comforts. That cost per sq. ft. of plinth area had worked out to about Rs. 9 and Rs. 8.6 for the two types studied. That is the promise you made to the people. And you construct works that are as costly as any where else, cost ranging from Rs. 25 to Rs. 35 per sq. ft. and even more. Did you not tell the people that you were starting this project with different types of ideals? You have promised that cheap housing schemes will be evolved. And in spite of that promise you have embarked on schemes likely to cost Rs. 60 crores or more. Is it not the duty of the Government and the engineers concerned to evolve modern methods of construction so that construction can be cheap? Even when your estimates get beyond your financial competence, you do not look back and examine things. A recital of requirements is easy to be made but where are the funds to come from? And, therefore, it is my submission that unless you want all the development programmes of Gujarat to suffer for a generation, for 10 to 20 years, look back and examine your facts. The project as now conceived will on completion cost Rs. 70 crores—interest added, it may be Rs. 80 crores; some authorities may put it at Rs. 100 crores. Then, you have no money, and yet to persist in the folly of continuing the colossal extravagance that you have once taken up, just because it has got started. This is not correct, is not fair to the poor people. I come from an

[Shri U. N. Mahida]

agricultural class. The agriculturists have to pay annually Rs. 6 crores as land revenue. And to undertake an additional burden of Rs. 8 crores for mere luxury of a *New* Capital is a folly.

AN HON. MEMBER : The figure is wrong.

SHRI U. N. MAHIDA : This is a figure for the future annual burden. I shall exchange notes with him and I shall cooperate in the review of the figures. These figures are not wrong. My figures have only been revised yesterday in co-operation with the engineers from the same State. Of course, all these facts and figures will be slowly published. Then I have spoken of the experiments, I have spoken of the accounts of the "Gujarat Capital Construction Fund." The Planning Commission will also have to take note of this. How long can we go on with this type of extravagant financing, putting the State in this type of financial quagmire ?

Then, much is said about the facilities. It was promised that it will be a very promising resort with excellent transport facilities. People are dying due to lack of transport and you promised that a metre gauge railway of 12 miles and a broad gauge railway of 10.5 miles will be constructed. It was a promise. You led the people to acquiesce. The people did not acquiesce ; but what can they do when the Government is powerful. And yet today after 12 years there is no possibility of the railway coming. The Railway Board has persistently refused to oblige. And the cost that you have been speaking about does not include the cost of these railways.

Then, Sir, after all Budgets can be improved if you look into the economy and examine the same. Again, please do not interrupt by saying that figures are wrong. I am quoting from the very Budget publication before you. The establishment charges on construction of this project are 14 per cent. When the works are worth a crore of rupees the establishment charges are 14 lakhs of rupees. The year's work is to cost about Rs. 2.5 crores and the establishment charges are Rs. 35 lakhs. A 14 per cent on establishment charges is a colossal waste. When the works expenditure figures get more and more, the establishment charges must be less and less. When you have huge projects, the establishment charges must be much low. Therefore, I draw the pointed attention of this Government and those in power that this matter be very urgently investigated. Even a few lakhs of rupees saved will be a good saving for a poor State like Gujarat.

Again reverting to the contradictions regarding figures, I will only take a couple of minutes to say that while I am here on the floor of this House to present the figures, what is criticized outside is entirely different and imaginary. I am deeply grateful and I feel gratified that the efforts that I have made, have brought excellent response from the Minister. But again, it is misquoted and sometimes misinterpreted. I will take the opportunity of quoting only two lines and that, I take, is the decision of the Government because the hon. Minister has said so. And this is exactly what I pleaded and nothing more. What I pleaded is more than conceded. And that conceding is that not only new works have already been stopped but restarting or "continuation of work" is now a difficult process. I am speaking of what the Government has said. I quote : "regarding continuation of 'work'." I am only emphasising the words "continuation of work". But to resume the quotation : "Obviously any decision regarding the continuation of work or the question of shifting cannot be taken during the President's Rule. It will have to wait till the formation of a popular Ministry as such, an important decision can only be taken by a popular Ministry in which the people of Gujarat will have confidence." This is exactly what I pleaded, Sir, in a memorandum that I have submitted. I have circulated the same to the people and I am grateful to the Minister for this pronouncement. I am sure, after this the facilities required for investigations, the facilities required for study will be afforded to those who are co-operative in the matter and that no attempts will be made to suppress expression of enlightened public opinion and that there will be willingness on the part of all concerned to cooperate in the efforts to see that the State of Gujarat is saved if from nothing else, if not from all public difficulties—at least from this great financial morass.

श्री जगदीश प्रसद माथुर (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने गुजरात के सम्बन्ध मे पिछले दिनो जो निर्णय लिये है और इस बजट मे जो प्रावधान है, उससे मुझे ऐसा लगता है की गुजरात की भूतपूर्व सरकार को बदनाम करने की दृष्टि से और 1972 मे विधान सभा के जो चुनाव होने वाले है उनको दृष्टि मे रख कर इस तरह के कदम उठाये गये है। जहा तक राजधानी के निर्माण का प्रश्न है, यह कोई नया प्रश्न नही है। गुजरात मे गांधी नगर मे राजधानी बनाने का निर्णय बहुत पहिले कर लिया गया था। बम्बई सरकार ने उसके लिए 10 करोड़ रुपये दिये थे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, केन्द्र के हाथ मे सत्ता आने के बाद अगर राजधानी के निर्माण का काम रोक दिया जाये और जनता मे यह भावना प्रचारित कर दी जाय कि हितेन्द्र देसाई की सरकार ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ मे ले लिया और गुजरात की गरीब जनता के लिए मकान न बनाये, उनकी आवास की व्यवस्था न करे और इस तरह से ऐशो व आराम के प्रोजैक्ट ले ले, यह ठीक बात नही है और इसीलिए हमने इसको रोक दिया। अब इसके बारे मे यह कहा जा रहा है कि इस पर दुबारा काम तब ही कराया जायेगा जब वहा पर जनता के हाथ मे निर्वाचित सरकार आ जायेगी। सरकार ने इस तरह का काम जो किया है वह भविष्य मे आने वाले चुनावो को दृष्टि मे रख कर किया है ताकि आम जनता की भावनाओ को भड़काया जा सके। सरकार ने जो कुछ भी वहां पर कदम उठाये है वे आगे आने वाले चुनावों को सामने रख कर उठाये है जो कि उचित मालूम नही देते है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने एक यह निर्णय लिया था कि हायर सेकेन्डरी तक शिक्षा निःशुल्क कर दी थी। आखिर में एक अच्छा कदम हितेन्द्र देसाई की सरकार ने लिया था जिसको राष्ट्रपति के प्रतिनिधि गवर्नर महोदय ने निरस्त कर दिया है। यह एक सामाजिक कदम वहा की सरकार ने अपनी आर्थिक दृष्टि को सामने रख कर किया, जो एक अच्छा कदम था, उसको इस सरकार ने निरस्त कर दिया है। गुजरात ऐसा प्रान्त है जहा पर आज भी नशाबन्दी लागू है और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुये उस समय की सरकार ने वहा पर इस तरह का निर्णय लिया था। आज मद्रास सरकार ने अपने यहा नशाबन्दी समाप्त करने का निर्णय लिया है तो वही बात अगर गुजरात सरकार भी करती तो क्या आप उसको इस तरह की कार्यवाही करने से रोकते और उनकी इस तरह की कार्यवाही को समाप्त कर देते? हितेन्द्र देसाई की सरकार ने अपने यहा निःशुल्क शिक्षा का जो निर्णय लिया था अगर उसी तरह का निर्णय मद्रास सरकार लेती तो क्या केन्द्रीय सरकार उसको निरस्त करने की हिम्मत करती? आज मद्रास की सरकार ने नशाबन्दी अपने यहा पर खत्म कर दी है तो क्या केन्द्रीय सरकार इसको रोक रही है? लोगों की नजरो मे हितेन्द्र देसाई की सरकार को गिराने के लिए ही इस सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है और कोई दृष्टिकोण उसके सामने नही है। तो मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य था कि जब तक वहा पर राष्ट्रपति शासन था तब तक वहा पर विकार की दृष्टि से कदम उठाती और इस प्रकार की योजना लागू करती जिसके कारण वहा की जनता को फायदा होता, जैसा कि अभी हमारी बहिन ने वहा के बारे में कहा है कि नर्मदा योजना के बारे में बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है।

श्रीमन्, हितेन्द्र देसाई की सरकार को बदनाम करने के लिए इस सरकार ने, अभी वहा पर जो तेल निकलता था, जो गैस निकलता था, उसके दाम बढ़ा दिये है। इस तरह की कार्यवाही करके सरकार ने वहां की जनता के साथ अन्याय किया है और

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]
सरकार को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये।

गुजरात में बिजली की बहुत भारी कमी है। एटौमिक इनर्जी कमीशन ने पिछले ही दिनों वहां के बारे में एक रिपोर्ट दी है। उसने कहा है कि जो यह हमारा भुज का इलाका है वहां पर एक एटौमिक पावर प्लान्ट लगाया जाना चाहिये। उसके सम्बन्ध में सरकार का निर्णय इस बजट में आता तो हम भी मानते कि सरकार गुजरात के प्रति पक्षपात का बर्ताव नहीं कर रही है। सरकार गुजरात के लिए, उसके विकास के लिए कई योजना लाई है और उसने कोई पक्षपात का कार्य नहीं किया है और कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसको भी वह कार्यान्वित कर रही है। लेकिन बजट को देखने से निराशा हुई और कोई ऐसी चीज नहीं दिखलाई पड़ी जिससे गुजरात का विकास हो तथा वहां पर जो बिजली की भारी कमी है वह दूर हो जाय। जहां तक गुजरात में एटौमिक पावर प्लान्ट लगाने का सवाल है उसके सम्बन्ध में कमिशन ने सरकार को रिपोर्ट दे दी है और केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य था कि बजट में इस बारे में प्रावधान करती। सरकार की गुजरात के प्रति अब ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि अभी हाल के चुनाव में वह वहां पर ज्यादा मतों से जीत कर आई है और वहां पर एटौमिक पावर प्लान्ट लगाने के बारे में उसको किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। सरकार की ओर से कहा जाता है कि वह वहां पर पैट्रो केमीकल्स कम्पलेक्स की स्थापना करने जा रही है। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कदम उठाये गये है। कौन-कौन सी इन्डस्ट्री और कौन-कौन से फर्टीलाइजर प्लान्ट वहां पर लगाये जाने वाले हैं। क्या इन चीजों की दृष्टि से वहां पर कोई कदम उठाये गये हैं और जिस तरह की रिपोर्ट कमीशन ने दी है उसके मुताबिक भी कोई कदम उठाये गये हैं। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लान्ट की स्कीम को वहां लागू कर दिया जाय तो वहां एग्रो इंडस्ट्रीज कम्पलेक्स की स्थापना होगी कच्छ सौराष्ट्र एरिया के अन्दर The scheme envisages a nuclear plant producing 1200 megawatts of electricity and 180 million gallons of water.

इसके कारण से वहां नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का प्लान्ट बन सकता है, फास्फेटिक फर्टिलाइजर का प्लान्ट बन सकता है, अमोनियम का प्लान्ट बन सकता है और कई प्रकार के उद्योगों की जो इसके सहारे से निर्माण हो सकते थे, उनकी सम्भावना थी। इस बजट में अगर इस प्रकार के कामों की सरकार ने व्यवस्था की होती तो हम उसे धन्यवाद देते।

एक बात देखकर मुझे बहुत हंसी आई कि सरकार ने हमारी एक मांग जरूर मानी है। हमने पिछले दिनों एक आन्दोलन किया था कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स में राइट टु वर्क शामिल करना चाहिए। उसे फंडामेंटल राइट्स में तो शामिल नहीं किया संविधान में लेकिन गुजरात के बजट में शामिल कर लिया। इसका जो एक्सप्लेनेटरी मैमोरेंडम है उसके एनेक्स्चर 2 के अन्दर 3-4 आइटम हैं उसमें आपने परिभाषा की है राइट टु वर्क की और उसके कारण से हमको लगता है कि सरकार का क्या दृष्टिकोण है—Right to work means Ambar Charkha Centres. Payment of grant to the Gujarat State Khadi Gramodyog Board, Ahmedabad for starting 12 Ambar Charkha Centres.

और इसी प्रकार से 5 नम्बर पर डिमाइन्ड 99 है उसमें—Right to work means Ambar Charkha Centres loan to be paid to the Gujarat. State Khadi Gramodyog Board, Ahmedabad in connection with 12 Ambar Charkha Centres.

उपसभापति महोदय, राइट टु वर्क शब्द का संविधान के अन्दर उपयोग किया गया है

डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अन्दर । यहां तो केवल अम्बर चरखा चला कर, खादी का उद्योग चला कर राइट टु वर्क को सेटिस्फाइ करना चाहते है। खादी के नाम पर कहते है लोगों को रोजगार देंगे। खादी के नाम पर केवल काग्रेसी कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे। आज काग्रेस जनों के अलावा कोई खादी पहनना नही चाहता। पुराने जो काग्रेस के लोग है या सोशलिस्ट पार्टी के लोगो को छोड़कर कोई खादी नही पहनता लेकिन खादी मीन्स राइट टु वर्क, यह कैसे हो गया। 50 करोड़ की योजना सरकार की है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, केन्द्र के बजट के अन्दर रखी थी, पता नही बगला देश की स्थिति के बाद उस योजना का कितना भाग बचेगा, लेकिन अगर उसमे से कुछ हिस्सा गुजरात के बजट मे रखा गया है लोगों को रोजगार देने के लिए तो मुझको लगता है खादी का तो नाम है उससे आगे आने वाले चुनाव मे काग्रेसी कार्यकर्ता खडे करने है। कोई स्थायी योजना नही है, टेम्पोरेरी योजना है। जिस प्रकार से राइट टु वर्क के नम्बर पर अम्बर चरखा खरीद कर खादी बनाने की योजना आ गई है उसी प्रकार से लोगों को रोजगार देने की जो योजना है उसका अर्थ यही होगा कि आगे आने वाले चुनाव के लिए काग्रेस के लिए कार्यकर्ता खड़े कर दिए जायं।

इस पर ज्यादा न बोलते हुए मै एक समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूगा और वह यह है कि गुजरात सीमावर्ती राज्य है और पिछले दिनों उस इलाके को लेकर देश के अन्दर एक स्थिति पैदा हुई थी जिसके कारण से कच्छ का समझौता करना पड़ा। कच्छ का इलाका असुरक्षित था, उधर से पाकिस्तान को आक्रमण का सीधा रास्ता दिखाई दिया। मंत्री महोदया को पता नही होगा कच्छ के रन का। उस इलाके मे जा कर देखें तो पता चलेगा कि आज सीमाए बिलकुल असुरक्षित है। कच्छ और राजस्थान की सीमा मिलती है। वहा मुझे जाने का मौका मिलता है। अभी राजस्थान के अन्दर कुछ पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए, उनके पास से जिस तरह के कागजात मिले है उनसे पता चलता है कि कच्छ और राजस्थान के सीमावर्ती इलाके मे पाकिस्तान के जासूसों का जाल बिछा हुआ है। और अगर कही भी आज इस प्रकार की बागला देश की स्थिति का निर्माण होता जा रहा है तो वह यह इलाका है। हम नही चाहते कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, लेकिन परिस्थिति यह भी पैदा हो सकती है, उपसभापति महोदय, कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाय। पिछली बार भी पाकिस्तान के साथ सकट आने के कारण लड़ाई हम ने नही की, लेकिन पाकिस्तान ने अपना अवसर और स्थान देख कर छम्म जोरिया के इलाके में हमारे देश के ऊपर हमला किया। लेकिन युद्ध के बाद पाकिस्तान को अनुभव हुआ है कि हिन्दुस्तान में अगर कोई सबसे ज्यादा असुरक्षित स्थान है, ऐसा कोई बार्डर है जहां पर आसानी से अपने जासूसों का जाल फैलाया जा सकता है और जो फैला हुआ है तो वह इलाका कच्छ का रन है जहां पर कि कोई साधन नही है, उसके विकास की दृष्टि से कोई योजना नही है या राजस्थान से लगने वाला बार्डर है। यह दो इलाके ऐसे है, उपसभापति महोदय, कि अगर पाकिस्तान का आक्रमण होगा, अगर पाकिस्तान से लड़ाई होगी, चाहे वह बागला देश के प्रश्न पर हो या किसी दूसरे प्रश्न पर, तो वह लड़ाई का इलाका सबसे पहले कच्छ का, गुजरात का या राजस्थान का होगा। लेकिन सीमावर्ती इलाको के विकास की दृष्टि से आपने कोई योजना इस बजट मे ऐसी नही रखी है, विशेष रूप से वहा के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने की दृष्टि से कि जिससे सारे कच्छ मे जो लोग रहते है, जो खानाबदोश लोग रहते है, या इस प्रकार के लोग रहते है जिनका पशुपालन ही धंधा है, जहा पर घास हुई वहा जा कर पशु चराये, पानी समाप्त हो गया, घास समाप्त हो गयी, फिर कही और चले गये, उन लोगो को स्थायी आवास देने की व्यवस्था हो सके। पिछले दिनों इस इलाके मे ही पाकिस्तान से लोग नही आये बल्कि राजस्थान मे भी लोग आये है उधर से

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

जिन को वहां से उखाड़ा गया है। पूर्वी बंगाल से ही लोगों को नहीं उखाड़ा गया, बल्कि पिछले दिनों अनुभव में आया है कि सिंध प्रान्त में भी हमारे वहां के अल्पसंख्यक लोगों को उखाड़ा गया है, उखाड़ा जा रहा है और उनके परिवार राजस्थान में आये हैं और बहुत से पूर्वी गुजरात में भी आये हैं और कच्छ के इलाके में भी आये हैं। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो उनके देश का सीमावर्ती इलाका है और सीमावर्ती इलाका होने के साथ ही सबसे कम विकसित क्षेत्र है, यह उनके हाथ में है, सब से पिछड़ा क्षेत्र है, कच्छ के रन का इलाका तो बिलकुल पिछड़ा क्षेत्र है, इस बजट के द्वारा कोई ऐसी योजना उन्होंने नहीं रखी जिसके कारण से इस इलाके का विकास हो, वहां इस प्रकार की योजनायें बनें कि जिनके कारण वहां लोग जा कर बसें और जिसके कारण हमारे देश पर जो संकट पैदा होने वाला है, हमारी सीमाओं पर जो संकट पैदा होने वाला है उस के निवारण की दृष्टि से हमारे देशभक्त नागरिक वहां जा कर रह सकें। इसलिए मैं सरकार को एक प्रकार से आगाह करना चाहता हूं कि अगर हमारे ऊपर संकट आया, अगर पाकिस्तान का हमला हुआ, जिसकी कि उस इलाके में संभावना है, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान इसी इलाके में बढ़ा था, हमारी फौजें लाहौर तक जरूर पहुंच गयीं थीं पश्चिमी पाकिस्तान में 1965 की लड़ाई में, लेकिन कच्छ के इलाके में पाकिस्तान आगे बढ़ा था और राजस्थान के जेसलमेर के बहुत बड़े भाग में पाकिस्तान आगे बढ़ा था और यही वह इलाका है जो सरकार की अपेक्षावृत्ति का शिकार रहा है और इस बजट में भी इस सरकार ने इसके विकास की दृष्टि से कोई ठोस योजना नहीं रखी है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शायद आप नवम्बर में चुनाव कराने वाले हैं गुजरात में या फरवरी में कराने वाले हैं इसका अभी पता नहीं है और सरकार अभी इस बारे में निर्णय नहीं कर पायी है। अगर नवम्बर में आप चुनाव कराते हैं तो आपके लिए कम अवसर है, लेकिन अगर चुनाव आप फरवरी में कराने वाले हैं तो बजट का बहुत सा भाग आपके पास खर्च करने के लिए होगा। आप इस बजट का बहुत सा भाग जो पिछड़े हुए इलाके हैं, विशेषतौर पर सीमावर्ती इलाके, जो पाकिस्तान से लगते हैं, उनके विकास की दृष्टि से आप कोई योजनायें बनायें, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Mr. Vice-Chairman, Sir, it is indeed an irony of fate that the State of Gujarat, which has produced the Father of our nation, the Father who got us independence, should be under the President's rules today, and that the Budget which should have been debated on the floor of the State Assembly is being passed by Parliament to day. But that is a matter of stability and stability is absolutely essential for running any administration. As such there was no other way out and in order to run it in accordance with the provisions laid down in the Constitution, the Budget has been brought forward here.

I am extremely thankful to the Members for making speeches in a dignified manner and I congratulate the Members for their constructive suggestions. Apart from that, some very relevant points have been brought out. I would confine myself strictly to the Budget, leaving the other political side.

Sir, the Budget shows a deficit of Rs. 1.29 crores which should be covered up in normal course of time by improvement in income and savings during the year. Revenue surplus of Rs. 14.35 crores; capital expenditure of Rs. 46.43 crores; Central assistance is to the tune of Rs. 31.60 crores; 11 per cent will be spent on industry, mining and transport, 28 per cent on power, 39 per cent of the outlay on agriculture, cooperation, community development. And a specific provision of Rs. 25 lakhs has been made for Scheduled Castes and Tribes.

Regarding matters which have been highlighted by all the Members here, I would say about irrigation projects that a number of pro-

jects are being continued and they are in the process of completion. The Kandana Project is expected to be completed by June 1974 and Rs. 353.75 lakhs have been kept for Kandana. For the Mahi Canal Project Rs. 124.34 lakhs are proposed. Since extremely slow progress of the work is registered by Sahakari Mandli Limited, the Governor has decided to carry on the work departmentally, having taken away the work from them. About the Narmada Project, you know that a tribunal under the Chairmanship of Mr. Justice Ramaswami, retired judge of the Supreme Court, has been set up and the decision of the Tribunal will be final and binding on all sides and the Supreme Court will have no jurisdiction over this dispute. And we are awaiting the publication of the decision of the Tribunal.

Regarding electricity, certain schemes have been taken up and they have been expanded. There is the expansion of the Dhuvaran Thermal Power Station which will generate a capacity of 280 MW and of Ukai Hydro Project with 300 MW capacity and this is in an advanced stage of implementation. By March 1971 it is expected that 3951 villages and 66159 wells would have been electrified.

About industrialisation hon. Members were very keen to know. About the steps taken for industrialisation, I would just quote certain figures. The State has good commercial industrial bias. The Indian Petro-Chemical Corporation Limited has started its work. The Airomatic Project will be commissioned by the end of 1972 and naphtha cracker costing Rs. 30 crores is expected to be completed by 1974. The fertiliser project in the cooperative sector is to be established at Kandla Kalol. It is expected that a sufficient employment potential will be generated by this to the new projects and help relieve unemployment.

About agriculture, foodgrains production is expected to be 35 lakh tonnes as against 30-89 lakh tonnes in 1969-70. The Governor has now directed the appointment of an officer-on-special duty for attending to preliminary work for setting up the Gujarat Agricultural University.

About land reforms I realise the difficulties associated. I would only say that the Finance Minister on the 20th March had made a general statement announcing the Government's intention that land revenue should be abolished so far as the small holders are concerned. But this was a policy matter and it was left to the future elected popular Ministry to take the initiative and to follow it up. Hence this remission of land revenue could not be implemented during the Governor's regime. There is another factor as to why it has not been undertaken. Even for the Panchayats which received grants-in-aid from this land revenue, it will be difficult to finance them. And additional taxation may be necessary. Moreover, implementation of this decision would also require an amendment of the Bombay Land Revenue Code.

The Industries (Development and Regulation) Act provides for a Committee of Investigation to be appointed by the Government of India on whose recommendation the sick mills can be taken over by the Gujarat State Textile Corporation. This is a very vital matter and I think this will help the problem. Then regarding distribution of land to adivasis and other backward classes, which was raised by a number of Members here, the Government have issued certain orders for allotment on a permanent basis of certain forest lands to adivasis and backward classes persons. The Governor has confirmed this decision and regularised the possession of forest land which was in possession of these persons for over 10 years.

The right to work was stressed by Mr. Mathur. I am happy to say that the Government has taken certain steps in this regard. The 12 Ambar Charkha Centres will provide employment to 1,550 persons during 1971-72. I would like to say very categorically that there is no intention of benefiting the Congress Party in any way whatsoever, The basic idea is to provide employment to the poor and needy. The Central Sector Scheme announced by the Prime Minister under which Gujarat's share is Rs. 14 crores is distinct from the above scheme. Apart from this, there is an additional provision of Rs. 30 lakhs in the Budget for providing employment to educated unemployed. In the Fourth Plan, there is a provision of Rs. 1.5 crores, So, the Gujarat Government has a scheme for 'the right to work' and I hope in future this scheme will be expanded further.

About gas and oil, it is a vital matter concerning not only Gujarat but the country as a whole. The Prime Minister's award on the 28th December 1968 had fixed the royalty on

[Shrimati Sushila Rohatgi]

crude oil payable by the Government of India to the Government of Gujarat at Rs 10 per ton. This award expires on the 31st December 1971. In the meantime, a committee has been appointed to advise the Government about the new rate after the expiry of the present award. Similarly, about the State Fertilizer Company, the State Government's share of 51 per cent is under Government's consideration.

Regarding Education, one of the Members had mentioned the controversy that has been raised over secondary education in Gujarat. The Governor had reviewed the decision of the former Chief Minister. This decision was taken just a couple of days before the Chief Minister laid down his office, that secondary education would be made free in the State of Gujarat commencing from this academic year. But this was reviewed from various points of view. I understand that this decision was not taken after consulting the full Cabinet as required under the rules of business.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. D. MANI) : You want to answer all the points or you want to wind up the debate ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Just as you like. All these points have been raised by Members and I thought I was duty-bound to reply to all those points. If there is any hurry. .

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) . Sir. I submit to you that when the Minister is seriously replying, point by point, which is a good habit she is cultivating. .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. D. MANI) : It is a very good habit. I compliment her on answering all the points.

SHRI BHUPESH GUPTA : I appeal to you also not to get into the habit of complimenting ladies too much.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Since the Members have raised certain points, I think it would be in the fitness of things that I reply to them. May be, they are not satisfactory, but I would like to reply to all the points.

Sir, about Education, there is a lot of misunderstanding. But the basic fact remains that the decision was modified with the result that full freeship is now admissible to boy students the income of whose parents does not exceed Rs 3,600 per annum Earlier it was only Rs. 1,200. Now it has been raised to Rs 3,600. And half freeship is now admissible to boys whose parents are not earning over Rs 4,800 per annum. This has also been increased from the earlier limit. During 1971-72 Rs 2 16 crores would be spent on this scheme and it will benefit about 3 lakh students and up to 1973-74 it would be further extended benefiting about 4 lakh students.

Now Shri Rajnarain is also here, the other time also he said that about 20 per cent of the State Exchequer should be spent on education. Gujarat is a State which is making about 20 per cent. I think this Budget would be in a position to give 20 per cent on education in the State of Gujarat.

One point was stressed about animal husbandry, perhaps by Shrimati Pushpaben Mehta. I would like to say that for animal husbandry an allocation of Rs. 675 lakhs has been made in the Fourth Five Year Plan and a provision of Rs. 111.88 lakhs has been proposed for 1971-72 which can be divided into cattle development, poultry development, sheep development and veterinary services. And there are several schemes under each of these above heads. I think what she wanted in this direction is receiving full attention and the Budget would be in a position to meet the requirements as desired by her.

About family planning also she has expressed her doubts and there is a view which is shared by many Members and I think the correct time will come when family planning as a subject is discussed when I think we can go into greater detail because this is an all-India matter, not relating only to Gujarat. Family Planning is a Centrally sponsored scheme and in the Fourth Plan we expect to spend Rs. 17 crores on this. During 1971-72 an amount of Rs. 1.42 crores has been specifically set aside for this.

There is another point regarding drinking water facilities and I quite understand the concern of the Members in that. I think this

Budget makes enough provision for that. A programme of Rs. 395.86 lakhs has been drawn up for the year 1971-72 the total break-up of which is as under :

	(Rs. in lakhs)
Urban Water Supply Scheme	75.25
Rural Water Supply Scheme	287.36
Urban Drainage Scheme	13.00
Rural Drainage Scheme	1.00
Others	19.25

All these make a total of Rs. 395.86 lakhs. Drinking water is the basic thing and it is a vital factor and I am glad that this provision has been made, and I am sure all honourable Members of the various political parties will agree to that.

Then about land ceiling in Gujarat they are expressing their doubts that there may not be some ceiling on land and so on. We find that different land ceilings have been fixed according to different classifications of land in Gujarat. Land ceiling has been fixed in such a way that it would yield an annual net income of Rs. 3,600.

With these points I would like to say that this is a State of which we are extremely proud. We see great future in this State.

Then there is one point which has been harassing especially a Jan Sangh Member and that is about the coastal border line. And this is a point which is shared not only by the Jan Sangh but by the whole country. I would like to tell him that he need not be panicky about that issue. Let there be no phobia, no fears, about it. The country is absolutely alive to the situation, And for his information I may say that coastal defence, though it is a matter of the Defence, is the main concern of the Indian Navy and it will take care of it. About our efforts and the morale of the people, there is a village defence scheme known as Sagar Rakshaka Dal where in the villages the people are given training so far as the protection of their coastal line is concerned.

With these words, I am sure the Budget will receive the commendation of the entire House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. D. MANI) : The question is—

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat for the services of the financial year 1971-72, as passed by the Lok Sabha be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. D. MANI) : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Sir, I move :

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER *RE.* PURCHASE OF FURNITURE BY CENTRAL MINISTERS

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : All that we want now is to hear the statement of Shri Gujral.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. D. MANI) : We want to conclude by six and therefore we want your co-operation.

Shri Gujral will make the statement.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING/ निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI I. K. GUJRAL) : I lay the statement on the Table of the House.

SHRI BHUPESH GUPTA : No, no. We want to hear the statement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. D. MANI) : I think the Minister will read because Members want to hear it. After all, it is not a long statement.

This is in regard to S. Q. No. 63 answered on 21.7.71.

SHRI I. K. GUJRAL : Under Ministers' Residences Rules, 1962, a ceiling has been laid down on furniture that can be kept by a Minister free of rent. This covers items of furniture and electrical appliances. These are